समता ज्योति

वर्ष : 16 अंक : 02 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 फरवरी, 2025

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

''आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, राज्य मनमानी नहीं कर सकते''
::सुप्रीम कोर्ट::

आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं, राज्य मनमानी नहीं कर सकते- सरकारी नौकरियों पर अदालत की अहम टिप्पणी

नई दिल्ली। कोर्ट ने कहा कि किसी भर्ती विज्ञापन में सामान्य, आरक्षित और अनारक्षित सीटों की कुल संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है तो वह पारदर्शिता की कमी के कारण अमान्य व अवैध है। शीर्ष कोर्ट ने कहा, चूंकि अपीलकर्ता कर्मचारी का चयन और नियुक्ति ही कानून की दृष्टि में अमान्य थी, इसलिए हाईकोर्ट ने चयनित उम्मीदवारों का नया पैनल बनाने का निर्देश देकर कोई गलती नहीं की।

सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामले में कहा कि आरक्षण का दावा करना भले ही मौलिक अधिकार नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य को मनमाने या मनमौजी तरीके से कार्य करने की अनुमति है। अगर कोई राज्य आरक्षण नहीं देने का निर्णय करता है, तो यह तथ्यों व वैध तर्क पर आधारित होना चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की। शीर्ष कोर्ट ने कहा, सरकारी नौकरियों में मनमानी से समानता के मौलिक अधिकार की जड़ों पर असर होता है। सरकारी नौकरी की प्रक्रिया हमेशा निष्पक्ष, पारदर्शी और संविधान सम्मत होनी चाहिए।

इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने दिया उल्ल्घंन करार

जस्टिस पंकज मिथल व जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने झारखंड के पलामू में चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए 29 जुलाई, 2010 को जारी विज्ञापन को स्थापित कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करार दिया। पीठ ने कहा, विज्ञापन में कुल पदों की संख्या आरक्षित व सामान्य कोटे के पदों की संख्या का उल्लेख नहीं था।

साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसी भर्ती विज्ञापन में सामान्य, आरक्षित और अनारक्षित सीटों की कुल संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है तो वह पारदर्शिता की कमी के कारण अमान्य व अवैध है।

शीर्ष कोर्ट ने कहा चूंकि अपीलकर्ता कर्मचारी का चयन और नियुक्ति ही कानून की दृष्टि में अमान्य थी इसलिए हाईकोर्ट ने चयनित उम्मीदवारों का नया पैनल बनाने का निर्देश देकर कोई गलती नहीं की। कोर्ट ने अपीलकर्ता कर्मचारी अमृत यादव की याचिका खारिज कर दी।

एक नजर याचिका पर

याचिका में दावा किया गया था कि उसकी सेवा को प्रभावित करने वाले निर्देश जारी करने से पहले न तो उसे पक्षकार बनाया गया और न ही उसकी बात सुनी गई। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब नियुक्ति प्रक्रिया को अमान्य घोषित किया जाता है, तो ऐसी नियुक्ति प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए की गई हर कार्रवाई भी अवैध है।

समानता के अधिकार का उल्लंघन न्यायिक जांच के लिए उत्तरदायी

सरकारी रोजगार संविधान की ओर से राज्य को सौंपा गया एक कर्तव्य है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है, सार्वजनिक रोजगार से जुड़े मामले में राज्य अनुच्छेद-14 और 16 की मूल भावना को नजर अंदाज न करें। सरकारी रोजगार में मनमानी समानता के मौलिक अधिकार की जड़ तक जाती है।

राज्य आम जनता के साथ-साथ भारत के संविधान के प्रति भी जवाबदेह है, जो हर व्यक्ति के साथ समान व निष्पक्ष व्यवहार की गारंटी देता है। इसलिए सार्वजनिक रोजगार प्रक्रिया हमेशा निष्पक्ष, पारदर्शी व संविधान की सीमाओं में होनी चाहिए।

हर नागरिक का मौलिक अधिकार है कि निष्पक्ष व्यवहार हो, जो अनुच्छेद-14 के तहत समानता के अधिकार का अंग है। इसका उल्लंघन न्यायिक जांच के साथ आलोचना के लिए भी उत्तरदायी है। भर्ती विज्ञापन में आरक्षित व अनारक्षित सीटों की संख्या का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अगर राज्य कोटा देना नहीं चाहता, तो उस निर्णय का विज्ञापन में पर्याप्त के साथ उल्लेख हो।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला:पीजी मेडिकल एडमिशन के लिए डोमिसाइल बेस्ड आरक्षण खारिज

अधिवास-आधारित आरक्षण समानता के अधिकारों का उल्लंघन

नई दिल्ली। एक बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीजी मेडिकल प्रवेश के लिए अधिवास-आधारित आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। साथ ही इसे समानता के अधिकार का उल्लंघन भी बताया। ऋषिकेश रॉय, सुधांशु धूलिया और एस वी एन भट्टी की तीन जजों की बेंच ने कहा कि प्रवेश पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होना चाहिए। हालांकि इसने स्पष्ट किया कि यह फैसला राज्यों द्वारा पहले से दिए गए अधिवास-आधारित आरक्षण (Domicile based Reservation) को प्रभावित नहीं करेगा। शीर्ष अदालत ने कहा, ''पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में निवास-आधारित आरक्षण स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। हम सभी भारत के क्षेत्र में निवास करते हैं। प्रांतीय या राज्य निवास जैसा कुछ नहीं है। केवल एक ही निवास है। हम सभी भारत के निवासी हैं। हमें भारत में कहीं भी निवास चुनने और देश में कहीं भी व्यापार और पेशा करने का अधिकार है। संविधान हमें भारत भर के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश चुनने का अधिकार भी देता है।'' इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि किसी स्पेशल स्टेट में रहने वाले छात्रों के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में एक निश्चित सीमा तक आरक्षण की अनुमति हो सकती है, लेकिन पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में इसकी अनुमति नहीं है। तीन-पीठ के फैसले ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के फैसले से पहले से दिए गए अधिवास-आधारित आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फैसले में कहा गया, ''किसी खास राज्य में रहने वाले लोगों को मेडिकल कॉलेजों समेत शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का लाभ केवल एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में एक निश्चित डिग्री तक ही दिया जा सकता है। लेकिन पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के महत्व को देखते हुए, निवास के आधार पर उच्च स्तरों में आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।''

अध्यक्ष की कलम से

''क्षेत्रिय जातिवाद''

साथियों,

हाल ही यू पी विधानसभा के सत्र में बोलते हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुये कहा है कि जब सारे हथियार फे ल हो जाते हैं तब ये जातिवादी झुनझुना बजाते हैं। सभ्य भाषा में कही गई इस बात को गंभीरता से लिये जाने की जरूरत है।

बहुत पहले स्व0 प्रधानमंत्री इंदिरागांधी ने कहा था कि आगे चलकर क्षेत्रीय पार्टियॉ देश के लिये अभिशाप सिद्ध होगी । उनका यह कथन तथ्यत: सही प्रतीत हो रहा है। यदि देश के प्रदेशों में जात अथवा परिवार के नाम पर चल रही पार्टियों का मानसिक विश्लेषण किया जावे तो संकेत वहीं कहते हैं जिसकी आशंका इंदिरागांधी ने प्रकट की थी।

आज भारत देश के 26 प्रदेशों और यू टी में मिलाकर कुल 58 क्षेत्तीय दल रजिस्टर्ड है । जबकि कुल छ: पार्टियाँ अलग से राष्ट्रीय पार्टियों के रूप में पंजीकृत है। बाकी अनेक कुकुर मुत्ता पार्टियॉ है जो चुनाव के समय ही दिखाई देती हैं। चुनाव लड़ने-लड़ाने का अधिकार सबका है।

योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी सपा के साथ ही सभी 58 क्षेत्रिय दलों पर भी लागू होती है। ये ही वे पार्टियाँ है जो एक देश एक चुनाव से सहमत नहीं है क्योंकि इससे उनका अस्तित्व समाप्त होने का खतरा है। इन 58 पार्टियों के विश्राम लेते ही जातिवाद की इति अपने आाप हो जायेगी। हम मानते है कि छहों राष्ट्रीय दलों को मिलकर कोई नीति बनानी चाहिये।

-जय समता।

सम्पादकीय

''प्रयागराज कुंभ का मतलब समझना है''

लीजिये। प्रभागराज अर्थात इलाहबाद में गंगा, यमुना, सरस्वती (अदृश्य) के संगम पर कुंभ का महापर्व सम्पन्न हो गया। कुल 45 दिनों तक चले इस पर्व के लिये सरकार ने 1500 करोड़ रूपये खर्च किये बताए । कुंभ पहले भी होते रहे हैं। हर बारह साल में कुंभ और बीच के हर चार साल में अर्धकुम्भ। लेकिन इस बार शायद पहला कुंभ हुआ जो पूरी तरह सरकारी आयोजन के रूप में प्रचारित-प्रसारित हुआ। जबकि पूर्व में यह आध्यात्मिक हुआ करता था। उन दिनों इस बार की तरह आंकड़ों की कलाबाजी देखने सुनने को नहीं मिलती थी। इस बार खूब मिली। मात्र 40 वर्ग किमी क्षेत्र के कुम्भ नगर में पचास करोड़ लोगों को डुबकी लगवाने का पुरुषार्थ (?) गोदी मीडिया दिन रात गाता रहा। माई के लाल किसी पत्रकार, किसी मीडिया मुगल में इतनी सामर्थ्य और समझ नहीं थी भी जो मोटा-मोटा अनुमान भी लगा सकता कि जब दो हजार वर्ग किमी क्षेत्र वाली देश की राजधानी में सिर्फ दो करोड़ लोग बमुश्किल समाते हैं तो 40 किमी वर्ग क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या अर्थात 50 करोड लोग कैसे समा सकते है । लेकिन झूठों की गप्प-गोष्ठी में सबकुछ हो सकता है।

बावजूद छोटी-मोटी बातों के प्रयागराज कुंभ भारतीय सांस्कृतिक मनीषा के महापर्व के रूप में चर्चित और सम्मानित रहा। इसमें सबसे बड़ी और खास बात ये रही कि ज्योतिषपीठ के जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सभी राजनैतिक पार्टियों की जातिवादी नीतियों को कटघरे में खड़ा करके कहा कि इस करोड़ों लोगों के आयोजन में कौन किसी जात या सम्प्रदाय पूछ रहा है ? उनका कथन ये सिद्ध करता है कि वस्तुत: कथित राजनैतिक पार्टियों ने निजी स्वार्थ के लिए देश की जनता को जातियों में बाँटा है। अन्यथा देश के हर कोने में जब तब होने वाले खाटू श्याम मेला, गोगामेडी मेला, कुल्लूव व कर्नाटक का दशहरा मेला, रामसा पीर का मेला आदि-आदि एक-एक महिने चलने बाले मेलों में पूरे देश से लाखों लोग धौक लगाने आते हैं। तब कौन किसकी जात पूछता है ? आशा नहीं थी कि संविधान निर्माता के नाम पर जो भ्रम का जाल बुना गया वह जातिवाद का पोषक सिद्ध होगा।

राजस्थान में गुजर-मीणा के बीच हिंसक संघर्ष के केस अभी भी अदालतों में चल रहे है। मणिपुर के कुकी और मैती सम्प्रदायों के बीच के झगड़े ने भारत का सिर पूरी दुनिया के सामने शर्म से इतना झुका दिया है कि उठ ही नहीं पा रहा हैँ और यदि अभी वर्तमान की बात करे तो संसद में गृहमंत्री के बयान के खिलाफ पूरे देश में एक विशाल आन्दोलन की तैयारी की खबरें सुनने-पढने को मिल रही है। जो भयभीत करती है।

धन्य है हमारे पूर्वज जिन्होने कुंभ सहित उपरोक्त मेलों की शुरुआत करके ''वसुधैव कुटुंबकम'' की अवधारणा को स्थाइत्व दिया। जबकि दूसरी तरफ आज की कथित राजनैतिक पार्टियॉ और उनके कर्णधार है जो भारत को खण्ड-खण्ड करने की रूपरेखा जातिवाद से खींच रहे हैं। समय बहुत कम है कि कुंभ जैसे मेलों की शुचिता और जनशक्ति के एकत्व भाव को समझा जावे। अन्यथा भविष्य की छवि उत्साहवर्धक नहीं है।

जय समता ।

– योगेश्वर झाड़सरिया

आरक्षित जनप्रतिनिधियों को संतुलित रखती है लोकतांत्रिक मर्यादा

मोटे तौर पर देखने पर लोकतंत्र एक खुरदरी और बिखरी-छितरी व्यवस्था दिखाई देती है। लेकिन भीतरी जड़ों पर ध्यान दें तो आभास होता है कि यहां कहने से ज्यादा सहने का महत्व है। यह बात चुने गये सांसदों और विधायकों पर सीधे लागू होती है। वे दोषी होते हुये भी निर्दोष दिखाई देते है। उनका ऐसा दिखना एक संरचनात्मक मजबूरी है क्योंकि उनका चुना जाना उनके अपने समुदाय के वोटों पर निर्भर ही नहीं है। मिसाल के तौर पर जिग्नेश मेवानी वडगाम सीट पर 15 प्रतिशत दलित वोटर की वजह से नहीं, 85 प्रतिशत ग़ैर-दलित वोटरों के समर्थन से चुने गए हैं। उस सीट के सारे दलित मिलकर भी कभी किसी को जिता नहीं सकते. सुरक्षित सीटों पर कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि चुनकर नहीं आ सकता, जो दलित या आदिवासी हितों के लिए आक्रामक तरीके से संघर्ष करता हो, और ऐसा करने के क्रम में अन्य समुदायों को नाराज़ करता हो। संसद और विधानसभा में सीटों के रिज़र्वेशन की व्यवस्था पर सवाल उठाने का समय आ गया है। बेहतर होगा कि ये सवाल खुद अनुसूचित जाति और जनजाति के अंदर से आएं। इस दिशा में समता आन्दोलन पहल कर चुका है।

संविधान का अनुच्छेद 334, हर दस साल पर दस और साल जुड़कर बदल जाता है। इसी प्रावधान की वजह से लोकसभा की 543 में से 79 सीटें अनुसूचित जाति और 41 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिज़र्व हो जाती हैं। वहीं, विधानसभाओं की 3,961 सीटों में से 543 सीटें अनुसूचित जाति और 527 सीटें जनजाति के लिए सुरक्षित हो जाती हैं। इन सीटों पर वोट तो सभी डालते हैं, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ एससी या एसटी का होता है। लोकसभा और विधानसभाओं में आज़ादी के समय से ही अनुसूचित जाति और जनजाति का उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व रहा है। सवाल यह उठता है कि इतने सारे दलित और आदिवासी सांसद और विधायक अपने समुदाय के लिए करते क्या हैं? नेशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो के इस साल जारी आंकड़ों के मुताबिक इन समुदायों के उत्पीड़न के साल में 40,000 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ रहा है। जाहिर है कि इन आंकड़ों के पीछे एक और आंकड़ा उन मामलों का होगा, जो कभी दर्ज ही नहीं होते हैं।

क्या दलित उत्पीड़न की इन घटनाओं के ख़िलाफ़ दलित सांसदों या विधायकों ने कोई बड़ा, याद रहने वाला आंदोलन किया है? ऐसे सवालों पर, संसद कितने बार ठप की गई है और ऐसा रिज़र्व कैटेगरी के सांसदों ने कितनी बार किया है? जैसे कि हम देख सकते हैं कि देश की 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी वाइस चांसलर अनुसूचित जाति का नहीं है या कि केंद्र सरकार में सेक्रेटरी स्तर के पदों पर अक्सर एससी या एसटी का कोई अफसर नहीं होता। शासन के उच्च स्तरों पर अनुसूचित जाति और जनजाति की अनुपस्थिति क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों के लिए चिंता का विषय है? चूंकि सरकारी नौकरियों की संख्या लगातार घट रही है और हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग उठी है, लेकिन क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों और विधायकों के लिए यह कोई मुद्दा है? इसी तरह की एक मांग उच्च न्यायपालिका में आरक्षण की भी है। खासकर संसद की कड़िया मुंडा कमेटी की रिपोर्ट में न्यायपालिका में सवर्ण वर्चस्व की बात आने के बाद से यह मांग मज़बूत हुई है. लेकिन क्या अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसदों ने कभी इस मुद्दे पर संसद में पुरज़ोर तरीक़े से मांग उठाई है? 120 से ज़्यादा एससी और एसटी सांसदों के लिए किसी मुद्दे पर संसद में हंगामा करना और दबाव पैदा करना मुश्किल नहीं है। इन सांसदों का एक ग्रुप भी है और जो अक्सर मिलते भी हैं लेकिन देश ने कभी इन सांसदों को अपने समुदायों के ज़रूरी मुद्दों पर आंदोलन छेड़ते नहीं देखा है।

अगर ये सांसद अपने समुदाय के सवालों को नहीं उठाते तो फिर वे चुने कैसे जाते हैं? क्या उन्हें हारने का भय नहीं होता? यह वह सवाल है, जिसमें इन सांसदों और विधायकों की निष्क्रियता का राज छिपा है। संविधान की व्यवस्था के मुताबिक, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं, लेकिन वोटर तमाम लोग होते हैं। किसी भी आरक्षित लोकसभा सीट पर अगर मान लें कि 20 फीसदी अनुसूचित जाति के वोटर हैं, तो 80 फीसदी वोटर अन्य समूहों के हैं। अनुसूचित जाति के किसी नेता का सांसद चुना जाना इस बात से तय नहीं होगा कि अनुसूचित जाति के कितने लोगों ने उसे वोट दिया है। अनुसूचित जनजाति की कुछ सीटों को छोड़ दें, जहां एसटी वोटर 50 फीसदी से ज़्यादा हैं तो ज़्यादातर आरक्षित सीटों की यही कहानी है। चुना वह जाएगा जो आरक्षित समूह से बाहर के ज़्यादातर वोट हासिल करेगा। आरक्षित चुनाव क्षेत्रों के इस गणित का मतलब यह है कि अगर कोई नेता अनुसूचित जाति के आरक्षण को लेकर आंदोलन करेगा या निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करेगा, तो दूसरे समुदायों की आंख में उसका खटकना तय है। यह उस नेता के लिए राजनीतिक आत्महत्या का रास्ता होगा। यह पूरी तरह विवशता की स्थिति है। आप अनुसूचित जाति-जनजाति के सांसद हैं, पर अनुसूचित जाति-जनजाति के सवालों पर आप मुखर नहीं हो सकते।

इसके अलावा एक और समस्या है। भारत में ज़्यादातर सांसद किसी न किसी दल से चुने जाते हैं। यह रिज़र्व सीटों से चुने जाने वाले सांसदों के लिए भी सच है। संविधान की दसवीं अनुसूची, यानी दलबदल कानून की वजह से ये सांसद दलीय अनुशासन से बंधे होते हैं, वरना उनकी सदस्यता छिन सकती है। ऐसे में जब तक राजनीतिक दलों की नीतियां अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में न हों, तब तक रिज़र्व कैटेगरी से चुनकर आने वाले सांसदों और विधायकों के लिए करने को ख़ास कुछ नहीं होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण संसद की वह घटना है जब एससी और एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण का विधेयक फाड़ने का दायित्व समाजवादी पार्टी ने एक एससी सांसद यशवीर सिंह को सौंपा और उन्होंने यह कर दिखाया. यशवीर सिंह उस समय उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद थे। इस सीट पर एससी 21 फीसदी हैं और मुसलमान 53 फीसदी। नगीना रिज़र्व सीट से सांसद बनने के लिए एससी वोट से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुसलमान और अन्य समूहों के वोट हैं इसलिए यशवीर सिंह ने एससी के हित के ऊपर समाजवादी पार्टी को रखा क्योंकि उनका गणित रहा होगा कि मुसलमान वोट उन्हें सपा में होने के कारण मिलेंगे। एक उदाहरण बीजेपी सांसद उदित राज का भी है। आईआरएस की नौकरी छोड़कर उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति का परिसंघ बनाया। इन समुदायों के हितों के सवाल पर वे सबसे ज़्यादा मुखर स्वर में से एक रहे। लेकिन जब तक वे यह करते रहे, तब तक अनुसूचित जाति ने भी उन्हें अपना नेता नहीं माना और वे कोई चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही इन्हें सवा छह लाख से ज़्यादा वोट मिल गए। ज़ाहिर है कि अनुसूचित जाति के वोटर भी अपने हितैषी को नहीं, किसी पार्टी के कैंडिडेट को ही चुनते हैं। तो जीतने के बाद वह कैंडिडेट किसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेगा? यह एक सरल गणित है। अब शायद समय आ गया है कि ऐतिहासिक पूना पैक्ट की वजह से चली आ रही सुरक्षित सीटों वाली इस व्यवस्था को ख़त्म करके वो सिस्टम लाया जाए जिसके हामी डा0 आंबेडकर थे. डा0 आंबेडकर चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट यानी सिर्फ़ दलित और आदिवासी वोटर ही अपने प्रतिनिधि चुनें। उन सीटों पर दूसरा प्रतिनिधि भी हो, जिनका चुनाव बाकी लोग करें। अब सब देख रहे हैं कि पूना पैक्ट की दुर्बल संतानें, यानी एससी और एसटी सीटों पर चुने गए जनप्रतिनिधि किस तरह बेअसर साबित हुए हैं.

पौराणिक कथन: 'सुरभि'

कामधेनु नामक गऊ। समुद्र मंथन से निकले नवरत्नों में से एक। जिसे दक्षसुता माना गया है।

अपने किये पराये सारे,
राजनीति गन्दे गलियारे।
जात-पॉत का जहर बिखेरा,
नेताओं के वारे न्यारे ।।

कविता

यूँ कब तक कुचले जावोगे ?

किस निंद्रा में सोए हो सब,
समता आन्दोलन तुम्हें जगा रहा ।
आरक्षण का स्वान सभी के,
अधिकारों को खा रहा।।

किस निंद्रा में सोए हो सब,
समता आन्दोलन तुम्हें जगा रहा ।

आखिर कब तक भेदभाव के,
मुद्गर से पीटें जाओगे
नेता और अफसर भी उनके
तब कैसे टिक पाओगे ।।

किस निंद्रा में सोए हो सब,
समता आन्दोलन तुम्हें जगा रहा ।

जातिवाद के कहर की पीड़ा,
तब भी तुम्हें नहीं खलती है ।
जब प्रतिभा की आंखों से अविरल
अश्रु धारा बहती है ।।

किस निंद्रा में सोए हो सब,
समता आन्दोलन तुम्हें जगा रहा ।

पढ़े-लिखे सवर्ण धोखे से,
बाहर कर दिए जाते हैं ।
उच्च अंक धारी होकर भी
श्रमिक बन रोटी खाते हैं ।।

किस निंद्रा में सोए हो सब,
समता आन्दोलन तुम्हें जगा रहा ।

क्यों हांशीये पे ला दिया हमको,
अब आवाज ही नहीं उठाओगे ।
जातिवाद के क्रूर कदम से
तब तक कुचले जाओगे।।

किस निंद्रा में सोए हो सब,
समता आन्दोलन तुम्हें जगा रहा ।
आरक्षण का स्वान सभी के,
अधिकारों को खा रहा।।

आभार- श्री ताराचंद जोशी, जालौर

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

''किसी देश का संविधान उस देश के जीवन का वाहन होता है और वह सरकार की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। अत: संवैधानिक प्रावधान का आशय स्पष्ट करते समय न्यायालयों का दृष्टिकोण भी व्यावहारिक होना चाहिए। उनका दृष्टिकोण ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय अमूर्त सिद्धांतों के चक्कर में उलझकर रह जाए।''

माना भी जा सकता है कि आरक्षण के बल पर सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी अंतत: अपनी कमियों को दूर कर लेंगे; लेकिन इस प्रकार नौकरी पाने को मौलिक अधिकार तो नहीं बनाया जा सकता-''यह नौकरी मेरा अधिकार है। इस पर मेरा हक है।'' बल्कि इसके स्थान पर कुछ इस प्रकार की भावना भरी जानी चाहिए- कि प्रत्येक व्यक्ति को नौकरी प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए उद्यम करना चाहिए।

अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत ऐसा कोई कदम नहीं है कि किसी छात्र को उसके पूरे शैक्षिक जीवन में एक बार से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।'' लेकिन सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पानेवाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे आखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

क्या सर्वोच्च न्यायालय के पास इसका कोई अनुभवजन्य प्रमाण है कि 'अंक तो धर्म, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर दिए जाते है'? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों की बढ़ती संख्या ही इसका अनुभवजन्य प्रमाण है? बड़े-से-बड़े सक्रियतावादी भी इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं दे सका है कि' अंक तो जाति, धर्म, संप्रदाय और रंग के आधार पर दिए जाते है।'

यह दु:खद बात है कि कानून-निर्माता कभी-कभी अनावश्यक रूप से यह समझने लगते है कि उच्च न्यायालय या उसके न्यायाधीश अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 16(4) के अंर्तगत रखी गई शर्तो की ओर से पूरी तरह उदासीन हैं। न्यायपालिका संविधान के तीन अंगों में से एक है और जिन लोगों को न्याय-प्रशासन के मामलों का कार्यभार सौंपा जाता है, उन्हें संवैधानिक शर्तों-प्रावधानों की विशेष समझ होनी चाहिए।

मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण न दिए जाने को समानता के सिद्धांत का उल्लंघन बताने वाले लोगों में- विशेषकर राजनीतिक वर्ग में- वे ही लोग हैं, जिनका कहना होता है कि चूँकि सरकारी तंत्र में वे उच्च पदाधिकारी हैं, अत: उन्हें अपने देश के और विदेशों के भी महँगे-से-महँगे अस्पताल में चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए- और वह भी सरकारी खर्च पर, जो आम आदमी के लिए एक सपने से भी बड़ी बात होती है! जी हाँ, यही है समाजवाद!

न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का कहना है, ''हमारा संविधान एक गतिशील दस्तावेज है, जिसका गंतव्य सामाजिक क्रांति है। यह न तो शक्तिहीन है और न ही निश्चल अथवा स्थिर, बल्कि यह पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण और मूल्य-सापेक्ष है, जैसा हमारे गणतंत्र की घोषणा है। जहाँ प्राचीन समाजिक अन्याय पूरी भारतीय मानवता के लिए 'आत्मिक धारा' को अवरूद्ध कर देता है, वहाँ हमारा संविधान गुटनिरपेक्ष नहीं रह

आखिर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने ही नियम-निरूपण पर क्यों नहीं चलता कि किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले सभी व्यक्ति अंतत: एक ही वर्ग के सदस्य बन जाते हैं और उसके बाद उनके साथ अलग-अलग बरताव करना समानता के सिद्धांत के विरूद्ध है? इससे अखिर अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।

लेकिन एक समस्या और है, जो इससे भी बड़ी है। सार्वजनिक बहस में जातिवादियों द्वारा और न्यायपालिका में अनेक सहयोगियों यानी प्रगतिवादियों द्वारा नैतिकता की लड़ाई लड़ी गई है, जिन्होंने भारत की वास्तविकता या सच्चाई की ओर देखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ जाति ही वर्ग है। परिणामस्वरूप् न्यायपलिका को जब भी ऐसा कोई निर्णय लेना पड़ता है, वह रक्षात्मक रवैया अपनाते हुए कायरता का सहारा लेती है।

अनुच्छेद 335 में किए गए प्रावधान के अनुसार, ''सेवा अथवा विभाग की कुशलता या गुणवत्ता को बनाए, रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक अथवा अन्य योग्यता स्तर में ढील नहीं दी जा सकती।''

क्रिमीलेयर पर छिड़ी नई जंग

आई.ए.एस.और आई.पी.एस.के बच्चों को न मिले एस.सी-एसटी आरक्षण-सुप्रीम कोर्ट मे पहुंची अर्जी

सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से किया इन्कार

नई दिल्ली। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बच्चों को एससी और एसटी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसी मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिस पर अदालत ने विचार करने से ही इनकार कर दिया। बैंच ने कहा कि किसे आरक्षण मिलना चाहिए और किसे उसके दायरे से बाहर करना चाहिए। यह तय करना संसद का काम है। अदालत इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकती। अदालत ने कहा कि यह तो संसद पर है कि वह इस संबंध में कोई कानून लाए। दरअसल बीते साल अगस्त में एक केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने ही यह राय जाहिर की थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के आरक्षण में भी क्रिमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए।

इसके तहत दलित और आदिवासी वर्ग के ऐसे लोगों के बच्चों को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाएगा, जिनके माता-पिता आईएएस या आईपीएस है। इनके स्थान पर उसी वर्ग के उन वंचित लोगों को मौका मिलना चाहिए, जो अब तक मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। जब अदालत की उस टिप्पणी को ही आधार के रूप में पेश किया गया तो जज ने उस पर भी साफ जवाब दिया। जस्टिस बीआर गवई ने कहा- 'हमारी ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। ऐसी राय 7 जजों की बैंच में से एक जस्टस की थी, जिसे दो अन्य जज ने समर्थन दिया था। उस मामले में अदालत का एकमत से यह फैसला था कि एससी और एसटी कोटा में उपवर्गीकरण होना चाहिए।

यह जनहित याचिका संतोष मालवीय की ओर से दाखिल की गई थी। मालवीय का कहना था कि मध्य प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अफ्सर के बच्चे को एससी और एसटी वर्ग का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यह याचिका पहले मध्य प्रदश हाई कोर्ट में ही दाखिल की गई थी, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। इसक बाद याची ने शीर्ष अदालत का रुख किया। दरअसल उच्च न्यायालय नें कहा था कि यह याचिका उच्चतम न्यायालय में ही जानी चाहिए। ऐसा इस लिए क्यूंकि सुप्रीम कोट ने ही अपने एक फैसले में क्रिमी लेयर की बात कही थी। बता दें कि अगस्त में क्रिमी लेयर का सुझाव देने वाली उस बैंच में जस्टिस गवई भी शामिल थे।

तब 7 जजों की बैंच ने साफ कहा था कि दलित और आदिवासी वर्ग के ही उन लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए, जिनक माता-पिता आईएएस और आईपीएस जैसे पद पर है। इससे पता चलता है कि अब वे समाज की मुख्य धारा में आ गऐ है और अब उनके स्थान पर उन लोगों को आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो अब तक पिछड़ रहे है।

प्रमोशन में आरक्षण वाले कर्मचारियों का डिमोशन होगा

नई दिल्ली। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है की प्रमोशन में आरक्षण को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। इसी के साथ उन सभी कर्मचारियों का डिमोशन किया जाएगाए जिन्हें आरक्षण के कारण प्रमोशन मिला था। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा विभाग ने प्रमोशन के लिए आरक्षण का लाभ लेने वाले शिक्षकों की लिस्टिंग शुरू कर दी है। ऐसे सभी कर्मचारी और शिक्षकों की सर्विस बुक मांगी गई है। सबका प्रमोशन रद्द कर दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में प्रमोशन में आरक्षण रिवर्ट

लखनऊ की मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्य शिक्षा विभाग ने दिनांक 15 नवंबर 1997 से लेकर 28 अप्रैल 2012 तक जितने भी कर्मचारी और शिक्षकों को आरक्षण का लाभ देकर प्रमोशन दिया गया थाए उन सब की सर्विस बुक और लिस्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शासकीय सेवा में, प्रमोशन के लिए आरक्षण को मौलिक अधिकार मानने से इनकार करते हुए यह भी कहा कि राज्यों को एससी-एसटी के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन के लिए डेटा इकट्ठा करना अनिवार्य है।

केंद्र सरकार ने अपील की थी

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी-एसटी के कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण को रद्द करने से कर्मचारियों में अशांति उत्पन्न हो सकती है। इसके विरोध में विभिन्न मुकदमें दायर किये जा सकते हैं। इससे पहले कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातिध्अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करने के लिये मापदंड तय करने से इनकार कर दिया था।

तेलंगाना: विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया

पिछड़ा वर्ग और एससी आरक्षण बढ़ाने के विधेयक को मंजूरी

हैदराबाद। तेलंगाना विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाकर पिछड़ा वर्ग और एससी आरक्षण बढ़ाने के विधेयक को मंजूरी दे दी गई है।

हैदराबाद राज्य मंत्रिमंडल ने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने व अनुसूचित जातियों को ए, बी, सी और डी श्रेणियों में वर्गीकृत करने के लिए दो विधेयकों को मंजूरी दे दी है। विधान सभा का विशेष सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ और दो मिनट बाद राज्य विधान सभा के संचालन के लिए स्थगित कर दिया गया। तेलंगाना पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ''शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण और राज्य के अधीन सेवाओं में पदों की नियुक्ति तथा स्थानीय निकायों में सीटों का आरक्षण'' विधेयक अब विधानसभा द्वारा पारित किया जाना है। विधेयक में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ाकर 42 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।

जाति सर्वेक्षण देश के लिए मॉडलः रेड्डी

सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना ने 50 दिन में जाति सर्वेक्षण पूरा करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है, जो देश के लिए एक मॉडल है। तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण से पता चला है कि अनुसूचित जातियां जनसंख्या का 15.43 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियां 10.45, पिछड़ा वर्ग 46.25 और मुस्लिम पिछड़ा वर्ग 10.08 प्रतिशत हैं, जिससे कुल पिछड़ा वर्ग जनसंख्या 56.33 प्रतिशत हो जाती है।

नवोदित जिले डीग में समता आन्दोलन का नवोन्मेष

भरतपुर। नवादित जिले डीग में समता आंदोलन समिति की संभाग स्तरीय कार्यकारिणी की पहली औपचारिक बैठक का आयोजन किया गया था। राहुल लवानिया को सर्वसम्मति से डीग अध्यक्ष बनाने के बाद पूरी कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा।

बैठक को सम्बोधित करते हुये राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने कहा कि देश से भ्रष्टाचार जातिवाद क्षेत्रवाद की राजनीति समाप्त हो और एक राष्ट्र एक जान, हर इंसान एक समान, मेरा देश महान के उद्देश्यों को लेकर समता आंदोलन आगे बढ़ रहा है। समता आंदोलन किसी जाति, धर्म, क्षेत्र के बिल्कुल ही खिलाफ नहीं है। इसके उद्देश्य देश को आगे ले जाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण समाप्ति का मुद्दा उठाया तो आज उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में पदोन्नति में आरक्षण बंद है। देश के महान बनने में जातिगत आरक्षण बड़ा रोड़ा है इसके कारण चुनावों में जातिगत आरक्षण के आधार पर टिकिट वितरण में योग्य व्यक्ति को टिकिट नहीं मिलता, नौकरियों में आरक्षण के कारण योग्य का चयन नहीं हो पाता, पदोन्नति में आरक्षण से अयोग्य अधिकारी बनने से प्रशासनिक दक्षता में कमी आ रही है। जाति के आधार पर मंत्रीमंडल का गठन होता है। प्रजातंत्र में विपक्ष का कमजोर होना देश हित में नही, विपक्षी दल राष्ट्रीय मुद्दों की बात ना

कर वोट बैंक या ओछी राजनीति करने लगते हैं जिससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण में आरक्षण यानि कि उपवर्गीकरण का निर्णय देकर आरक्षित वर्ग में वंचित जातियों के लिए व क्रीमीलेयर की सलाह देकर न्याय दिया है।

एट्रोसिटी एक्ट पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समता आंदोलन जातिगत भेदभाव के विरुद्ध है हर इंसान एक समान का उद्देश्य ही यही है कि देश हर नागरिक समान है उसे सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने का हक है। एट्रोसिटी करने वाले के विरुद्ध है लेकिन एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग के भी विरुद्ध है। एट्रोसिटी के झूठे मुकदमों सामान्य वर्ग के पीड़ित के साथ है यदि उसने एट्रोसिटी की है तो उसके साथ नहीं है।

इस अवसर पर भरतपुर से संभाग अध्यक्ष शैक्षिक प्रकोष्ठ ओमप्रकाश शर्मा, श्री ब्राह्मण सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष कौशलेश शर्मा, समता आन्दोलन जिलाध्यक्ष केदार नाथ पाराशर, शहर अध्यक्ष सुनील बंसल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता देवकीनंदन शहर सचिव मनीष गुप्ता जिला कोषाध्यक्ष योगेश कुमार जैन अशोक कुमार सारस शिव कुमार मनीष सौनी एडवोकेट शुभनेश पाराशर राकेश शर्मा डीग से पत्राकार दीप चन्द, उमेश पाराशर, सीताराम पाराशर, देवीप्रसाद पाराशर मनोज कुमार खण्डेलवाल, रेवती प्रसाद, जय नारायण व्यास, मोती लाल, लक्ष्मण प्रसाद, जगत पाराशर नरेन्द्र पाराशर, राजेश कुमार, राकेश कुमार, हेमराज, भूदेव लवानियां योगेश पाराशर मुनेश कृष्ण कांत नगर से महेन्द्र सिंह शर्मा आदि अनेक गणमान्य लोग उपस्थित हुए।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in